

15/09/25

के/के

पत्रा सेवा की बकू. उप. / तहसीलवार - 15/09/25
 के पत्रांग 4245 दिनांक 01/09/2025 के
 रिपोर्ट प्राप्त हुई / मुलाबिके तब रिपोर्ट
 मुक्त वाहन में वादी एवं पुलिसवालीगणों
 की संख्या 10 ले अधिक होने के कारण
 उक्त रकवा का कुरी किया जाना
 संभव नहीं है। अतः मुलाबिके कुरी रिपोर्ट
 के आधार पर खारिज किया जाना उचित
 है। अभ्यपक्षकारों को सूना गया। अतः
 वादी का वाहन तहसीलवार रिपोर्ट
 के आधार पर खारिज किया जाना
 ही फावली पुलिस सुमाट डोंकट नम्बर
 के क्रम की जात दाखल दफ्तार है।

